

भाग-iv

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

प्रस्ताव सं० - PP/UP/Officers/39656/2019

17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा

के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

CF, Ayodhya की संस्तुति के आधार पर स्वीकृत संस्तुति की जाती है।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणयों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

Pankaj Misra
Chief Conservation Officer/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

नाम-

सरकारी मोहर

दिनांक- 11/11/19

स्थान-